न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 62/2025 बउनवानी धीरज गुर्जर बनाम लोक सूचना अधि0 एवं तहसीलदार बरनाला निवासी ग्राम जाखोलास कलां, तहसील बामनवास

GCMS No-2025/ 171

Appeal Number- 3215436117019068

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
29.7.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 10.4.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बरनाला को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर'' 1.पूर्व परिसीमन,2019 के समय बामनवास में कुल कितनी पंचायत बनने का प्रस्ताव मिला ओर क्या क्या नाम पंचायत के थे व कितनी पंचायते बनी थी, 2.पिछली बार क्या कारण थे कि पलसोद ग्राम पंचायत नही बनी और अगर इस बार ग्राम पलासोद को पांचायत टूट गई और जाखोलास कलां , जाखोलास गार्डन की बिना सहमति बनी ओर अगर विद्वान दोनो गांव रहस्यमय है तो उसके बाद पलासोद को पंचायत बनाना सही या गलत,3 ग्राम जाखोलास कलां की ग्राम पंचायत का प्रस्ताव मिला या नही सहित 3 बिन्दुओं *'की प्रमाणित सूचना'' तहसीलदार बनरनाला* से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बरनाला को तत्काल सूचना उपंलब्ध कराने हेतु पोर्टल के माध्यम से ही आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बरनाला के पत्रांक/राजस्व /2025/235 दिनांक 29.7.2025 से अवगत करवाया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 10.4.2025 मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण सूचना दिया जाना सम्भव नही होने के कारण अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 76 दिनांक 9.7.2025 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 10.4.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण उक्त सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसमे संबंध में लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बरनाला के पत्रांक 76 दिनांक 9.7.2025 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:33:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner